शिकायत अनुभाग से संबन्धित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. हम शिकायत कैसे भेज सकते हैं?

उत्तर: कोई भी व्यक्ति शिकायत को दस्ती या पोस्ट द्वारा भेज सकता है। वह ईमेल (pcibppcomplaint@gmail.com) द्वारा भी शिकायत भेज सकते हैं। जांच विनियमों के अनुसार, सभी अपेक्षित दस्तावेज़ विधिवत हस्ताक्षरित शिकायत के साथ होने चाहिए।

2. शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: इसका उल्लेख भारतीय प्रेस परिषद की वैबसाइट पर पहले से ही मौजूद है। कृपया दिये गए लिंक @ www.presscouncil.nic.in. का अनुसरण करें।

3. शिकायत के लिए हम पीसीआई के किस अधिकारी को संबोधित करें?

उत्तर: सचिव, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, 8, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

4. यदि सभी अपेक्षाएं पूर्ण हों, तो शिकायत प्रक्रिया का अगला चरण क्या है?

उत्तर: सभी अपेक्षाएं पूर्ण होने के बाद, शिकायत को शीर्ष 13 (प्राधिकरण/संगठन के विरुद्ध), शीर्ष 14 (प्रेस के विरुद्ध) के अंतर्गत मामले के अनुसार एक मिसिल संख्या, आवंटित की जाती है और आगे की प्रक्रिया के लिए उच्च अधिकारी के पास प्रेषित की जाती है। (प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी यूएआरएल में बताई गयी है)। लिंक .....

5. यदि सभी अपेक्षाएं पूर्ण न हों, तो शिकायत प्रक्रिया का अगला चरण क्या है?

उत्तर: सभी अपेक्षाएं अनिवार्य हैं तथा ऐसा न करने पर शिकायत को समाप्त समझा जाएगा। यदि शिकायतकर्ता अपेक्षाओं में से किसी एक अपेक्षा को पूर्ण नहीं करता है तो उसे, इसके लिए पूर्ण औचित्य देना होगा। उनकी शिकायत पर विचार, माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात ही होता है।

6. क्या घोषणापत्र अनिवार्य है और क्यों?

उत्तर: हाँ, प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 की धारा 3(2) के अंतर्गत, घोषणापत्र दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि पीसीआई एक अर्ध न्यायिक निकाय है तथा एक मामले पर एक साथ दो न्यायालयों में कार्रवाई नहीं की जा सकती।

7. क्या सरकारी /निजी विभाग का कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है?

उत्तर: हाँ, किसी भी संगठन या विभाग का कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है जो किसी भी प्रकाशन या न प्रकाशन के कारण व्यथित महसूस करता है। हालांकि, शिकायतकर्ता को इसका उल्लेख करना होगा कि शिकायत व्यक्तिगत रूप से दर्ज की जा रही है या आधिकारिक रूप से है।

8. जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस/कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद, क्या हम शिकायत को परिपक्व मान सकते हैं? यदि हाँ, तो अगली कार्रवाई क्या होगी?

उत्तर: हाँ, जवाबी वक्तव्य के लिए नोटिस/कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने और उत्तर दर्ज़ करने के नियत समय के बाद, मामले को परिपक्व समझा जाता है। इसके बाद, इसकी बारी आने पर इसे परिषद की जांच समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, जिसके

संबंध में दोनों पक्षों अर्थात शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी(प्रतिवादियों) को सुनवाई की तिथि के संबंध में अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है।

9. क्या परिषद के निर्णय पर किसी अन्य मंच द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है?

उत्तर: धारा 14 (4) के तहत, उप-धारा (1) या उपधारा (2) के तहत परिषद का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

10. शिकायत के न्यायनिर्णय के लिए कितना समय लगता है?

उत्तर: यह मामले पर निर्भर करता है, हालांकि, परिषद क्षेत्र के अनुसार मामले लेती है। मामले का अधिकतम 6 माह के अंदर निपटान हो सकता है।